"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2010—ज्येष्ठ 14, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक 5740/1467/21-ब/2010.—यत: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की यह राय है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है :—

अतएव छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा उनको प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रीक्स पिता स्व. डेनिस रोड्रीक्स निवासी रायपुर, छत्तीसगढ़ को उक्त विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित करते हैं.

Raipur, the 4th June 2010

NOTIFICATION

No. 5740/1467/21-B/2010.—Whereas the Governor of Chhattisgarh is of opinion that the Anglo Indian Community is not represented in the Chhattisgarh Legislative Assembly :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on him by Article 333 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to nominate Shri Bernard Joseph Rodrigues, S/o Mr. Denis Alphonso Rodrigues, Raipur, Chhattisgarh to be a member of the said Legislative Assembly.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.